प्रेस नोट दिनांक 04.12.2024

थाना/जनपद चन्दौली

थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा 03 वाहन चोरो को 02 चोरी की मोटरसाईकिल के साथ किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिह एवं क्षेत्राधिकारी सदर राजेश कुमार राय के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक चन्दौली राजेश कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में चन्दौली पुलिस टीम द्वारा 03 चोरो को 02 चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

पुलिस कार्यवाही- थाना चन्दौली पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई दिनांक 01. 12.2024 को चन्दौली कस्बा क्षेत्र से जो मोटर साइकिल चोरी हुई थी उसे चुराने वाले लोग अभी-अभी शंकर मोड चन्दौली से निकले है। जिसे लेकर वे लोग बिहार की तरफ जा रहे है।
उपरोक्त सूचना के आधार पर चन्दौली पुलिस नवीन मण्डी चौकी के आगे UP67AE0195 व UP61AS7941 नम्बर प्लेट की दोनो मोटर साइकिल रोकवा ली गयी साथ ही दोनो मोटर साइकिल पर सवार तीन व्यक्तियो को घेरा बन्दी करके गिरफ्तार कर लिया गया।

1- वाहन संख्या UP67AE0195 पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम बब्लू अग्रहरी पुत्र कल्लू प्रसाद निवासी वार्ड नं0 14 गौतम नगर थाना व जिला चन्दौली उम्र करीब 24 वर्ष बताया।
2-वाहन संख्या UP61AS7941 पर पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सुन्दर विश्वकर्मा उर्फ राजकुमार विश्वकर्मा पुत्र बुल्लू विश्वकर्मा निवासी फुटिया थाना व जिला चन्दौली उम्र 23 वर्ष बताया व उक्त वाहन चला रहे व्यक्ति ने अपना नाम राजकुमार उर्फ गोलु पुत्र ओमप्रकाश सिंह निवासी ग्राम सिकरी थाना कुदरा जिला कैमुर भभुआ विहार उम्र 24 वर्ष बताया।

थाना चन्दौली पुलिस ने ई-चालान एप्प के माध्यम से सत्यापन किया तो वाहन संख्या UP67AE0195 हीरो स्पेलेण्डर पल्स थाना चन्दौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 288/2024 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित होना पाया गया।

वाहन संख्या UP61AS7941 के चेचिस नंबर MBLHA10EWBHC14473 को चेक किया गया तो उक्त बाइक हीरो होण्डा पैशन प्रो का वास्तविक वाहन संख्या BR45B4839 वाहन स्वामी अयोध्या सिंह पुत्र हरिनारायण सिंह निवासी भेलमा औरैया थाना कुदरा जिला कैमुर भभुआ बिहार पाया गया तत्पश्चात पकड़े गये तीनो व्यक्तियो को थाना चन्दौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 288/24 धारा 303(2) बीएनएस से अवगत कराकर मुकदमा उपरोक्त मे अभियुक्त राजकुमार उर्फ गोलु पुत्र ओमप्रकाश सिंह निवासी सकरी थाना कुदरा जिला कैमुर भभुआ बिहार का नाम प्रकाश मे लाते हुए मुकदमा उपरोक्त धारा 317(4)/318(2)/319(2) बीएनएस की बढोत्तरी करते हुए तीनो व्यक्तियो को हिरासत पुलिस मे लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-उक्त दोनो मोटर साइकिलो के सम्बन्ध मे तीनो व्यक्तियो से पूछा गया तो बब्लू अग्रहरी व सुन्दर विश्वकर्मा द्वारा बताया गया कि साहब वाहन संख्या UP67AE0195 हम लोगो ने दिनांक 01.12.2024 को किदवई नगर थाना व जिला चन्दौली से चुराई थी व वाहन संख्या UP61AS7941 हिरो होण्डा पैशन प्रो के सम्बन्ध मे पूछा गया तो राजकुमार उर्फ गोलु द्वारा बताया गया कि यह गाड़ी बिहार से चुराई गयी है जिसे लेकर मैं आज बब्लू अग्रहरी व सुन्दर विश्वकर्मा के पास आ था आज हम लोग ये दोनो गाडी बिहार मे बेचने वाले थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.बब्लू अग्रहरी पुत्र कल्लू प्रसाद निवासी वार्ड नं0 14 गौतम नगर थाना व जिला चन्दौली उम्र करीब 24 वर्ष।

2.सुन्दर विश्वकर्मा उर्फ राजकुमार विश्वकर्मा पुत्र बुल्लू विश्वकर्मा निवासी फुटिया थाना व जिला चन्दौली उम्र 23 वर्ष।

3.राजकुमार उर्फ गोलु पुत्र ओमप्रकाश सिंह निवासी ग्राम सिकरी थाना कुदरा जिला कैमुर भभुआ विहार उम्र 24 वर्ष।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

1.मु.अ.स. 288/2024 धारा 303(2),317(4)/318(2)/319(2) बीएनएस थाना व जिला चन्दौली

विवरण बरामदगी –

दो मोटरसाईकिल चोरी की

1-वाहन संख्या UP67AE0195 हीरो स्पेलेण्डर पल्स,

2-वाहन संख्या UP61AS7941 हीरो होण्डा पैशन प्रो।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह थाना चन्दौली जनपद चन्दौली।

उ.नि. अमित कुमार मिश्रा थाना व जिला चन्दौली

उ.नि. राजेश सिंह थाना व जिला चन्दौली

हे0का0 सुनील सिंह थाना व जिला चन्दौली

का. विजय कुमार थाना व जिला चन्दौली ।